बिहार सरकार

कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर

निविदा सूचना

विभागीय राज्यादेश सं0 4055 दिनांक–26.11.2015 द्वारा स्वीकृत सरकारी तालाब के पट्टेदार को नाव एवं फेंका जाल के वितरण योजनान्तर्गत नाव (जामुन की सूखी लकड़ी से निर्मित नाव 18′–0′′x5′–0′′X1′–6′′ नाव की पेंदी की चौड़ाई 3′–6′′ पेंदी के तख्ते की मोटाई 1′′ अन्य तख्ते की मोटाई 3/4′′) एवं फेंका जाल (10′ ऊँचाई 3 कि0ग्रा0 सिंकर एवं मेस साईज नोट टू नोट 1′′साईज) के क्रय हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन निविदा की माँग की जाती है।

1. निविदा को राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरांत प्रत्येक कार्य दिवस की कार्य अवधि में दिनांक 28.06.16 के संध्या 5.00बजे तक जिला मत्स्य पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय में हाथों–हाथ प्राप्त किया जा सकेगा।
2. निविदा एक बड़े सील लिफाफे में नाव/फेंका जाल अंकित कर लिफाफा पद्धति (एक में तकनिकी एवं दूसरे में वित्तीय निविदा डालकर) के अनुसार स्वीकार योग्य होगा।
3. तकनिकी लिफाफा में पैन नं0, आई0टी0 रिटर्न (विगत दो वर्षो का अद्यतन) वैट नं0 विवरणी, शपथ पत्र, एवं निबंधन से संबंधित उद्योग विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय लिफाफा में अग्रधन के रूप में मो0–5000(पाँच हजार रू0) का मत्स्य पालक विकास अभिकरण समस्तीपुर के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट (DD) संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र जिला मत्स्य कार्यालय, ताजपुर रोड, समस्तीपुर में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में रू0 200.00 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
5. निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस दिनांक 29.06.16 को 3.30 बजे अपराह्न में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में गठित मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रबंध कारिणी समिति के समक्ष खोलकर दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निष्पादन किया जायेगा।
6. स्वीकृत निविदादाता को स्वीकृत मूल्य पर पूरे जिले में किसी भी स्थान पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। इस हेतु अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा जिसमें अन्य शर्त्तों के साथ यह शर्त्त भी उल्लिखित होगी कि आपूर्ति गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार कर देंगे।
8. भुगतान वाणिज्य कर एवं आयकर की कटौती के पश्चात ही किया जायेगा।
9. निविदा दाता को इस आशय का शपथपत्र नोटरी/कार्यपालक पदाधिकारी को देना होगा कि उनका फार्म किसी सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

10. निविदा निष्पादन के समय निविदादाता/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित होगी।

11. विभाग के द्वारा नाव एवं फेंका जाल का ईकाई दर क्रमशः मो0 40000/–रूपया एवं मो0 1800/–रूपयां अधिकतम निर्धारित है।

12. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की DD वापस कर दी जायेगी।

14. विशेष जानकारी समस्तीपुर जिला के कार्यालय बेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
समस्तीपुर

ज्ञापांक 492 /मत्स्य/समस्तीपुर, दिनांक 14 वीं जून 2016
प्रतिलिपि आई० टी० प्रबंधक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि जिला के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

S.K. 14-06-16

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
समस्तीपुर